संख्या: 395/2016/1556/पैंतीस-4-2016

प्रेषक,

अबरार अहमद ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 05 दिसम्बर, 2016**

विषय- **केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेटिस्टिकल स्ट्रेन्थिनिंग (एसएसएस) के अन्तर्गत डेवलेपमेन्ट आफ साफ्टवेयर फार आनलाईन डाटा इन्ट्री हेतु साफ्टवेयर का विकास किये जाने हेतु अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 1129/ले0-69/2009टी0सी0, दिनांक 19.09.2016, का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा डेवलेपमेन्ट आफ साफ्टवेयर फार आनलाईन डाटा इन्टी हेतु साफ्टवेयर का विकास किये जाने हेतु रू0 10,47,000/- की धनराशि यू0पी0डेस्को को अग्रिम भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- एसएसएस योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या: 331/2016/1305/पैतीस-4-2016, दिनांक 27.09.2016 द्वारा रू0 4,26,31,000/- (रू0 चार करोड़ छब्बीस लाख इक्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिसमें इनफारमेशन टेक्नालाजी हेतु चिन्हांकित धनराशि रू0 30.00 लाख में से प्रस्तावित कार्य हेतु रू0 10,47,000/- की धनराशि यू0पी0डेस्को को अग्रिम दिये जाने का प्रस्ताव अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त यू0पी0डेस्कों को डेवलेपमेन्ट आफ साफ्टवेयर फार आनलाईन डाटा इन्टी हेतु साफटवेयर का विकास किये जाने हेतु प्रस्तावित लागत रू0 41,89,242/- के सापेक्ष रू0 10,47,000/- (रू0 दस लाख सैतालिस हजार मात्र) का अग्रिम आहरण कर यू0पी0डेस्को, लखनऊ को भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है :-

(1) उक्त अग्रिम धनराशि का आहरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या: ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वाराअग्रिम रूप से आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2017 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(3) कार्यदायी संस्था को धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराने का दायित्व अर्थ एवं संख्या प्रभाग का होगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रश्नगत धनराशि व्यय के उपरान्त यदि कोई शासकीय हानि/अनियमितता परिलक्षित होती है तो उसके लिए कार्यालय अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-04- स्टेट स्ट्रेटजिक स्टेटिस्टिकल प्लान के अन्तर्गत मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: एफ0ए0-1-448ध्/दस-2016, दिनांक 30 नवम्बर 2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या: 395/2016/1556 (1)/पैतीस-4-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 9वां तल जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0 मार्ग, नई दिल्ली-110001
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश भारती)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।